

तारीख हुक्म

18.11.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण मय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाजों के भी कोई पक्षकारान् व वकील वादीगण हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादीगण व पक्षकारान की अनुपस्थिती में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

